

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: 3899 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

दिनांक: 10.08.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 10.08.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 94 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 18-मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर, मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, ईदगाह रोड बुलन्दशहर, मौ0 साठा नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, गली नं0-2 अम्बा कालौनी, बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, मौ0शेख सराय नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, ईटारोडी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, टैगोर वाली गली कृष्णानगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच0ब्लाक यमुनापुरम बुलन्दशहर, मौ0 गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 सराय गुंसाई, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 इन्द्रलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0लोधगान, रेलवे रोड निकट गौरीशंकर डिग्री कालेज, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 विष्णुपुरम, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ0शान्ती निकेतन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद

बुलन्दशहर में 76 हॉटस्पॉट- मौ0 चन्द्रलोक कालौनी (नवलपुरा) खुर्जा, मौ0बुर्ज उस्मान खुर्जा, ग्राम नैथला हसनपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, जाटव मौहल्ला ग्राम मनिया टीकरी वि0ख0जहाँगीराबाद तहसील स्याना, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, मौ0कोट शेर खॉ, नगर पालिका क्षेत्र, शिकारपुर, मौ0पुरानी तहसील कस्बा व तहसील अनूपशहर, कायस्थवाड़ा, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0 सराय नसरुल्ला, नगर पालिका क्षेत्र खुर्जा, मौ0 खुशीपुरा, नगर पालिका क्षेत्र खुर्जा, धमैड़ा अडड़ा, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अरनिया मंसूरपुर, ब्लाक व तह0 खुर्जा, मौ0 गांधी नगर, नगर पालिका क्षेत्र गुलावटी, ग्राम शिवाली, वि0ख0 लखावटी तहसील अनूपशहर, ग्राम सहकारी नगर, वि0ख0 लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 खत्रीवाड़ा, वार्ड नं0-24, निकट जेबर बस अडड़ा सिकन्द्राबाद, ग्राम चॉदपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, पीली कोठी, नगर पालिका क्षेत्र खुर्जा, मौ0 वैश्यान खानपुर, वि0ख0 डेंचगाँव तहसील स्याना, मौ0कर्म धर्म नगरीय क्षेत्र नरौरा, ग्राम चोला वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0पंचवटी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ0नोटा का चौक, कस्बा स्याना, वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम कैलावन, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, पैठ चौक, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0 अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र, खुर्जा, विकास खण्ड आवासीय कालौनी नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम चौचन्दा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम हलपुरा, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0पट्टी हाजरी, कस्बा, विकास खण्ड व तहसील स्याना, ग्राम झाझर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम कुदैन, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 कानूनगोयान, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम खंगावली, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम गुठावली, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर, शिव मन्दिर वाली गली, केशवपुरी नगरीय क्षेत्र खुजा, झारखण्डी वार्ड नं0-1, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, मौ0 शिव नगर, सलेमपुर रोड (रोडवेज बस अडड़ा के सामने) सिकन्द्राबाद, मौ0 नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गोरा मौहल्ला, ग्राम बाहपुर, वि0ख0 बी0बी0नगर व तहसील स्याना, चित्रकूट कालौनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम रहमापुर, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम नयागांव वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम जुगसाना कलां, वि0ख0 जहाँगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम वीरखेड़ा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, कनैनी हाउस, डी0सी0एम0 सिनेमा के पीछे नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गली नं0-1, पहासू अडड़ा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम मौहम्मदपुर खुर्द, वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम करनवास बांगर, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम दौरऊ, वि0ख0 दानपुर व तहसील डिबाई, ग्राम नवीपुर खेडिया, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम नरायनपुर वि0ख0अरनिया व तहसील खुर्जा, ग्राम नेमताबाद, वि0ख0अरनिया व तहसील खुर्जा, चावंड मौहल्ला, कस्बा वि0ख0 व तहसील स्याना, शारदा मैरिज होम के सामने, जंक्शन रोड खुर्जा, आवास विकास कालौनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, अलीगढ चुंगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गाँधी चौक, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम माधवगढ, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम खिजराबाद, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम एत्मादसराय वि0ख0 गुलावटी तहसील सदर, ग्राम कुरली वि0ख0 गुलावटी तहसील सदर, ग्राम सनौटा वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम पाली बेगपुर वि0ख0 लाखवटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सराय छवीला, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, मौ0अहार गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ0दिल्ली गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम सलामतपुर उर्फ नेतानगर, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, मौ0लोघयाना कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ज्ञान लोक कालौनी(भारत गैस गोदाम) नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम सैदपुर वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, ग्राम सरगाँव वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0राधा कृष्ण नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम झमका वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम रतनपुर वि0ख0 जहाँगीराबाद, मौ0गोपलपुरी नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 10.08.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-1572 है, 812 व्यक्ति होम क्वारेन्टाइन में है। जनपद में 38 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-अगस्त , 2020

सेवा में,


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।



प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ने पत्रांक 1903/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30-07-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 30 जून 2020 में यथासंशोधन करते हुए अनलॉक-03 दिशा-निर्देश दिनांक 31-08-2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संक्रमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित कम सं0 93 से 94 पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 09 अगस्त, 2020 की सायं 08:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

क्र0सं0	कन्टेनमेन्ट जोन का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर ✓	30-05-2020	को0नगर, बु0शहर (चौकी डिप्टी गंज)
2	मौ0 राधानगर, बुलन्दशहर ✓	21-06-2020	को0नगर बुलन्दशहर
3	मौ0 चन्द्रलोक कालोनी खुर्जा	26-06-2020	खुर्जा नगर
4	मौ0 बुर्ज उस्मान, खुर्जा	26-06-2020	खुर्जा नगर
5	ईदगाह रोड, बुलन्दशहर ✓	08-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
6	ग्राम नैथला हसनपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	10-07-2020	को0देहात बु0शहर
7	मौ0 साठा, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	10-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
8	जाटव मौहल्ला, ग्राम मनिया टीकरी, वि0ख0 जहाँगीराबाद, तहसील स्याना	17-07-2020	खानपुर
9	नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद	17-7-2020	औरंगाबाद
10	गली नं0-2 अम्बा कालोनी, बुलन्दशहर ✓	19-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
11	मौ0 कोट शेर खॉ, नगर पालिका क्षेत्र, शिकारपुर	20-07-2020	शिकारपुर
12	मौ0 पुरानी तहसील, कस्बा व तहसील अनूपशहर	21-07-2020	अनूपशहर
13	कायस्थवाडा, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद	22-07-2020	सिकन्द्राबाद
14	मौ0 सराय नसरुल्ला, नगर पालिका क्षेत्र खुर्जा	22-07-2020	खुर्जा नगर
15	मौ0 खुशीपुरा, नगर पालिका क्षेत्र खुर्जा	22-07-2020	खुर्जा नगर
16	धमैड़ा अड्डा, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	22-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
17	ग्राम अरनिया मंसूरपुर, ब्लाक व तह0 खुर्जा	24-07-2020	को0 खुर्जा नगर
18	आवास विकास-द्वितीय, नगर पालिका परिषद-बुलन्दशहर ✓	24-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
19	मौ0 गाँधी नगर, नगर पालिका क्षेत्र गुलावठी	25-07-2020	गुलावठी
20	ग्राम शिवाली, वि0ख0 लखावठी तहसील बुलन्दशहर	25-07-2020	जहाँगीराबाद
21	ग्राम सहकारी नगर, वि0ख0 लखावठी, तहसील बुलन्दशहर	25-07-2020	को0देहात बु0शहर
22	मौ0 शेख सराय, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	25-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
23	मौ0 खत्रीवाडा, वार्ड सं0-24, निकट जेवर बस अड्डा, सिकन्द्राबाद	26-07-2020	सिकन्द्राबाद
24	ग्राम चाँदपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	26-07-2020	को0देहात बु0शहर
25	पीली कोठी, नगर पालिका क्षेत्र खुर्जा	26-07-2020	खुर्जा नगर
26	ईटारोडी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	27-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
27	शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	27-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
28	मौ0 वैश्यान खानपुर, वि0ख0 ऊँचागाँव तहसील स्याना	27-07-2020	खानपुर
29	मौ0 करम-धरम, नगरीय क्षेत्र नरौरा	28-07-2020	नरौरा
30	ग्राम चोला, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	28-07-2020	को0देहात बु0शहर
31	टैगोर स्कूल वाली गली, कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	28-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
32	मौ0 पंचवटी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	28-07-2020	खुर्जा नगर

33	एच ब्लॉक, यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	28-07-2020	को0देहात बु0शहर
34	मौ0 मोढ़ा का चौक, कस्बा स्याना, वि0ख0 व तहसील स्याना	29-07-2020	स्याना
35	ग्राम कैलावन, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	29-07-2020	सलैमपुर
36	पैठ चौक, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	29-07-2020	शिकारपुर
37	मौ0 गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	29-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
38	मौ0 अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र, खुर्जा	29-07-2020	खुर्जा नगर
39	विकास खण्ड आवासीय कालोनी, नगरीय क्षेत्र, शिकारपुर	30-07-2020	शिकारपुर
40	ग्राम चौचन्दा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	30-07-2020	खुर्जा नगर
41	ग्राम हलपुरा, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	31-07-2020	शिकारपुर
42	मौ0 पट्टी हजारी, कस्बा, विकास खण्ड व तहसील स्याना	31-07-2020	स्याना
43	ग्राम झाझर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	31-07-2020	ककोड़
44	ग्राम कुदैन, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	31-07-2020	को0देहात बु0शहर
45	मौ0 कानून गोयान, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	01-08-2020	शिकारपुर
46	ग्राम खंगावली, वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर	01-08-2020	अगौता
47	ग्राम गुठावली, वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर	01-08-2020	को0देहात बु0शहर
48	शिव मन्दिर वाली गली, केशवपुरी नगरीय, क्षेत्र खुर्जा	01-08-2020	खुर्जा नगर
49	मौ0 सराय गुसाईं, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	02-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
50	झारखण्डी वार्ड नं0-1, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	02-08-2020	सिकन्द्राबाद
51	मौ0 शिव नगर, सलेमपुर रोड (रोडवेज बस अड्डा के सामने), सिकन्द्राबाद	02-08-2020	सिकन्द्राबाद
52	मौ0 नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	02-08-2020	खुर्जा नगर
53	गोरा मौहल्ला, ग्राम बाहपुर, वि0ख0 बी0बी0नगर व तहसील स्याना	03-08-2020	बी0बी0नगर
54	मौ0 इन्द्रलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	03-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
55	चित्रकूट कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	03-08-2020	खुर्जा नगर
56	ग्राम रहमापुर, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई	03-08-2020	डिबाई
57	प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम नयागांव वि0ख0 व तहसील स्याना	04-08-2020	स्याना
58	ग्राम जुगसाना कलां, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	04-08-2020	जहाँगीराबाद
59	ग्राम वीरखेड़ा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	04-08-2020	सिकन्द्राबाद
60	कनैनी हाउस, डी0सी0एम0 सिनेमा के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	04-08-2020	खुर्जा नगर
61	गली नं0-1, पहासू अड्डा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	04-08-2020	खुर्जा नगर
62	ग्राम मौहम्मदपुर खुर्द, वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई	04-08-2020	डिबाई
63	ग्राम करनवास बांगर, वि0ख0 व तहसील डिबाई	04-08-2020	डिबाई
64	ग्राम दौरऊ, वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई	05-08-2020	डिबाई
65	ग्राम नवीपुर खेडिया, वि0ख0 व तहसील डिबाई	05-08-2020	नरौरा
66	मौ0 लोधगान, रेलवे रोड निकट गौरी शंकर डिग्री कालेज, तहसील बु0शहर ✓	05-08-2020	को0नगर बु0शहर
67	ग्राम नारायणपुर, वि0ख0 अर्निया व तहसील खुर्जा	05-08-2020	अर्निया
68	ग्राम नेमताबाद, वि0ख0 अर्निया व तहसील खुर्जा	05-08-2020	खुर्जा देहात
69	मौ0 विष्णुपुरम्, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	06-08-2020	को0नगर बु0शहर
70	चाँवड मौहल्ला, कस्बा, वि0ख0 व तहसील स्याना	06-08-2020	स्याना
71	शारदा मैरिज होम के सामने, जंक्शन रोड, खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
72	आवास विकास कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
73	अलीगढ चुंगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
74	गाँधी चौक, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	06-08-2020	जहाँगीराबाद
75	ग्राम माधवगढ, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	07-08-2020	खानपुर
76	ग्राम खिजराबाद, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	07-08-2020	जहाँगीराबाद
77	ग्राम एत्मादसराय, वि0ख0 गुलावठी तहसील सदर	07-08-2020	को0देहात बु0शहर
78	ग्राम कुरली, वि0ख0 गुलावठी, तहसील सदर	07-08-2020	गुलावठी
79	ग्राम सनौटा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	07-08-2020	सिकन्द्राबाद
80	ग्राम पाली बेगपुर, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	08-08-2020	औरंगाबाद
81	ग्राम सराय छबीला, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	08-08-2020	को0देहात बु0शहर
82	मौ0 शान्ति निकेतन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	08-08-2020	को0नगर बु0शहर
83	मौ0 अहार गेट, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर	08-08-2020	अनूपशहर
84	मौ0 दिल्ली गेट, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर	08-08-2020	अनूपशहर

यस मास्क भा वितरित किये जायेंगे। जायगा तथा

85	ग्राम सलामतपुर उर्फ नेतानगर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	08-08-2020	अनूपशहर
86	मौ० लोधयाना, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	08-08-2020	जहाँगीराबाद
87	ज्ञान लोक कालोनी (भारत गैस गोदाम), नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	08-08-2020	सिकन्द्राबाद
88	ग्राम सैदपुर, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील स्याना	08-08-2020	बी०बी० नगर
89	ग्राम सरगाँव, वि०ख० व तहसील शिकारपुर	08-08-2020	शिकारपुर
90	मौ० राधा कृष्ण, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	08-08-2020	खुर्जा नगर
91	ग्राम झमका, वि०ख० व तहसील खुर्जा	08-08-2020	खुर्जा नगर
92	ग्राम रतनपुर वि०ख० जहाँगीरबाद	08-08-2020	औरंगाबाद
93	मौ० गोपालपुरी, नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई	09-08-2020	नरौरा
94	पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर	09-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर

मा० मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 व पत्रांक 1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-

- शहरी क्षेत्र:-**
- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
 - (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
 - (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं, तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
 - (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में-
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
 - (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्र:-**
- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
 - (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरों की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेगें।

कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
- 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
- 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
- 4- कन्टेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर-जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।
- 5- कन्टेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जाँच एवं सैनिटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किये जायेंगे।

- 6- कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेन्स या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, डी0एम0ओ0 (मो0नं0-9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 7- कन्टेनमेंट जोन में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 द0प्र0सं0 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर-स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
- 9- कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
- 10- उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।

दिनांक: 09 अगस्त, 2020

पृष्ठांक संख्या: 37 / एस0टी0-डी0एम0 / 2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सं040-3/2020-डीएम- (ए) दिनांक 29 जुलाई 2020 एवं मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ के संदर्भित पत्र के प्रस्तर 4(11) के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
- 7- उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 8- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 9- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 10- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
- 11- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 12- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 13- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाईजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- 14- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चर्चा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 15- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
- 16- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 17- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 18- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।